

सं०सं०-16/एम.1-80/2025

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग,
बिहार, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:- सहरसा जिला में कार्यरत नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 08/2020 के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-305(आ.चि.) दिनांक-14.03.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्णतः औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-743(आ.चि.) दिनांक-19.07.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालों में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

अतः निम्नांकित नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि (कॉलम-4) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
----------	----------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------	---	---	------------------------

10/07/2024

1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० शाहीन फातमा, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरली बोरवा, सहरसा	दिनांक— 18.03.2024 से 21.07.2024 तक 126 दिन	—	221124250569 43	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
2	डा० अब्दुल मनान, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रौता, सौर बाजार, सहरसा	दिनांक— 15.03.2024 से 21.07.2024 तक 129 दिन	—	171224250584 96	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/—

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—16/एम.1-80/2025 -/०५३ (अ. च.) पटना, दिनांक— 1०.७.२०२६

प्रतिलिपि:—सिविल सर्जन, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/संबंधित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सहरसा/संबंधित सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव